संख्या: 86/2023/1111/छप्पन-2023-02/2013

प्रेषक,

आनन्द कौशिक,
अनु सचिव,
उ0प्र0, शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नागरिक उड्डयन,
उ0प्र0, लखनऊ।

नागरिक उड्डयन अनुभाग लखनऊ, दिनांक: 23 अगस्त, 2023

विषय: जनपद चित्रकूट स्थित हवाई पट्टी के विस्तारीकरण की परियोजना हेतु वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या 103/ना0उ0नि0-2023/ए0एफ0-105बी0, दिनांक 27 जुलाई, 2023 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा चित्रकूट हवाई पट्टी के विस्तारीकरण की परियोजना हेतु चौथी किश्त के रूप में धनराशि रु0 1853.238 लाख (रूपया अट्ठारह करोड़ तिरपन लाख तेइस हजार आठ सौ मात्र) की वित्तीय स्वीकृति/धनावंटन जारी करने का अनुरोध किया गया है।

2- जनपद चित्रकूट स्थित हवाई पट्टी के विस्तारीकरण की परियोजना हेतु शासनादेश संख्या 42/2015/899/छप्पन-2015-2/2013, दिनांक 04 जून, 2015 स्वीकृत लागत रू0 92,66,19,000/- में से अब तक निम्नलिखित विवरण के अनुसार धनराशि रू0 69,49,64,250/- अवमुक्त की गई है :-

शासनादेश संख्या एवं दिनांक	**स्वीकृत धनराशि (रूपए)**
42/2015/899/छप्पन-2015-2/2013 दिनांक 04 जून, 2015	₹ 11,88,00,000/-
49/2016/676/छप्पन-2016-2/2013 दिनांक 04 जुलाई, 2016	₹ 13,36,53,000/-
29/2017/233/छप्पन-2017-2/2013 दिनांक 24 मार्च, 2017 (तृतीय किश्त)	₹ 24,26,12,370/-
81/2022/1381/छप्पन-2022-56-1099-184-2019 दिनांक 06 अक्टूबर, 2022 (तृतीय किश्त की अवशेष धनराशि)	₹ 19,98,98,880/-
कुल स्वीकृत धनराशि	**₹ 69,49,64,250/-**

2/...

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

3- प्रश्नगत परियोजना हेतु कार्यदायी संस्था (राइट्स लिमिटेड) को प्रथम किश्त के रूप में शासनादेश 42/2015/899/छप्पन-2015-2/2013 दिनांक 04 जून, 2015 द्वारा निर्गत धनराशि ₹ 11,88,00,000/- एवं द्वितीय किश्त के रूप में शासनादेश 49/2016/676/छप्पन-2016-2/2013 दिनांक 04 जुलाई, 2016 द्वारा निर्गत धनराशि ₹ 13,36,53,000/- तथा तृतीय किश्त के रूप में शासनादेश 29/2017/233/छप्पन-2017-2/2013 दिनांक 24 मार्च, 2017 द्वारा निर्गत धनराशि ₹ 24,26,12,370/- की कुल धनराशि ₹ 49,50,65,370/- प्रदान की गई। कार्यदायी संस्था द्वारा उक्त धनराशि के पूर्ण उपयोग किए जाने के फलस्वरुप तृतीय किश्त की अवशेष धनराशि ₹ 19,98,98,880/- शासनादेश 81/2022/1381/छप्पन-2022-56-1099-184-2019 दिनांक 06 अक्टूबर, 2022 द्वारा निर्गत की गई है, जिसके सापेक्ष रू0 1449.34 लाख का व्यय किया जा चुका है तथा रू0 549.64 (अब तक अवमुक्त धनराशि रू0 6949.64 लाख-व्यय धनराशि रू0 6400.00=अवशेष धनरशि रू0 549.64 लाख) उपलब्ध है। अतः चौथी किश्त के रूप में 20 प्रतिशत धनराशि रु0 1853.238 लाख निर्गत की जानी है।

4- जनपद चित्रकूट स्थित राजकीय हवाई पट्टी के विस्तारीकरण हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2023 -24 में चौथी किश्त के रूप में धनराशि रु0 1853.238 लाख (रूपया अट्ठारह करोड़ तिरपन लाख तेइस हजार आठ सौ मात्र) की स्वीकृति के साथ वर्तमान वित्तीय वर्ष 2023-24 में व्यय की अनुमति श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबंधों के अधीन सहर्ष प्रदान करते हैं:-

1. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या 2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक 17 मार्च, 2023 में विहित नियमों के आलोक में प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति/व्यय किया जायेगा।
2. निदेशक, नागरिक उड्डयन यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्ययोजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृति नहीं की गई है।
3. बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता का दायित्व निदेशक, नागरिक उड्डयन का होगा | वित्तीय स्वीकृति का आदेश निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा बजट प्राविधान के सापेक्ष अवशेष धनराशि की उपलब्धता की स्थिति में ही निर्गत किया जाएगा।

3/...

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

4. कार्य की विशिष्टियॉ मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी निदेशक, नागरिक उड्डयन की होगी तथा निदेशक, नागरिक उड्डयन यह सुनिश्चित करेंगे कि कार्य निर्धारित समयावधि में ही पूर्ण हो जाए।

5. परियोजना की लागत में टाइम ओवर रन/कास्ट ओवर रन न हो। अत: इस सम्बन्ध में शासन द्वारा निर्गत दिशा-निर्देश एवं बजट मैनुअल के प्रस्तर-212 में दिए गए निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

6. यह अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जाएगा कि कार्यो की गुणवत्ता उच्चकोटि की हो तथा समय-समय पर सम्पादित कराए जा रहे निर्माण कार्यों की मानीटरिंग भी की जाएगी।

7. स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जाएगा।

8. प्रश्नगत स्वीकृति मानक के सम्बन्ध में निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के आधार पर दी जा रही है, यदि मानक के सम्बन्ध में कोई सूचना गलत पाई जाती है तो इसका उत्तरदायित्व निदेशक, नागरिक उड्डयन का होगा।

9. निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा प्रस्तावित धनराशि को आहरित कर किसी बैंक खाते में नहीं रखा जायेगा। अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा।

10. आहरित धनराशि के सापेक्ष उपयोगिता प्रमाण-पत्र यथासमय शासन को उपलब्ध कराया जाएगा।

11. वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-162 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार जो सरकारी कर्मचारी/अधिकारी धन को आहरित करेगा, वही उसके समायोजन हेतु भी जिम्मेदार होगा तथा यदि कोई क्षति होती है, तो उसके लिये भी संबंधित सरकारी कर्मचारी/अधिकारी जिम्मेदार होगा।

12. निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा वित्तीय वर्ष में स्वीकृत समस्त अग्रिम धनराशि का समायोजन वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक अवश्य कर लिया जायेगा तथा प्रश्नगत धनराशि का समायोजन कराते हुये महालेखाकार के पुस्तांकित आकड़ों में भी समायोजन करा दिया जाए।

13. प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति जिस कार्य/मद हेतु की जा रही है उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्य/मद हेतु किया जायेगा।

4/...

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

14. निदेशक, नागरिक उड्डयन यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रस्तावित कार्यो की द्विरावृत्ति नहीं हो रही है।

15. पूर्व में निर्गत शासनादेश संख्या- 42/201/899/छप्पन-2015-2/2013 दिनांक 04 जून, 2015 में उल्लिखित शर्तें/प्रतिबन्ध यथावत लागू रहेंगे।

6- उपर्युक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-38 के पूंजीगत लेखा लेखाशीर्ष "5053-नागर विमानन पर पूंजीगत परिव्यय-02-विमानपत्तन-800-अन्य व्यय-20-हवाई पट्टियों के निर्माण विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण तथा भूमि अर्जन-24-वृहद निर्माण कार्य" से वहन किया जाएगा।

7- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या 2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023 दिनांक 17 मार्च, 2023 में निहित व्यवस्था के अन्तर्गत निर्गत किए जा रहे हैं।

भवदीय,
आनन्द कौशिक
अनु सचिव।

संख्या- 86/2023/1111(1)/छप्पन-2023-02/2013, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-:

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- उप महालेखाकार ई0एस0।।।, आडिट भवन, टी0सी0-35-वी-।, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ-10
3- आयुक्त, चित्रकूट धाम मण्डल, बॉदा
4- जिलाधिकारी, चित्रकूट।
5- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ/कोषाधिकारी, चित्रकूट।
6- महाप्रबन्धक राइट्स लि0 (एयरपोर्ट डिविजन) गुड़गांव, हरियाणा।
7- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग -7 ।
8- समीक्षा अधिकारी (बजट)/गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
आनन्द कौशिक
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in